UPVR010009702026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी।
आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या–38 / 2026
कुमारी करूणा वगैरह बनाम उ0 प्र0 राज्य वगैरह

21–08–2026

1– पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुयी। पूर्व तिथि में विलम्ब माफी प्रार्थनापत्र 8ख पर उभय पक्ष को सुना जा चुका है। मुंसरिम रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा फौजदारी निगरानी 3 माह 9 दिन बाद विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र 8ख प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उन्हें उनके अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश की जानकारी विलम्ब से दी गयी तथा उनके अधिवक्ता के मुंशी द्वारा प्रश्नगत आदेश की प्रति किसी अन्य पत्रावली में रखने की वजह से विलम्ब हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर विलम्ब नही किया गया है। याचना की गयी है कि विलम्ब मर्षण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये।

3– उक्त विलम्ब मर्षण प्रार्थना–पत्र के विरूद्ध विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी व विपक्षी सं0 02 की ओर से मौखिक रूप से आपत्ति की गयी एवं मुख्य रूप से कथन किया गया कि प्रार्थीगण को प्रश्नगत आदेश की जानकारी सही समय पर हो गयी थी उनके द्वारा निगरानी दाखिल करने में जानबूझकर विलम्ब कारित किया गया है। अतः विलम्ब मर्षण प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाये।

4– अतः, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि न्याय के हित में, न्यायालय को विलम्ब मर्षण प्रार्थना–पत्र पर अत्यंत उदार रुख अपनाना चाहिए और जहाँ तक आपराधिक पुनरीक्षण दाखिल करने में हुई देरी का प्रश्न है तो उसे क्षमा किया जा सकता है। अतएव प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों एवं प्रकरण को गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना–पत्र 8ख अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 8ख अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। पत्रावली आपराधिक निगरानी की ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 02–09–2026 को पेश हो।

दिनांक : 21–08–2026

(संजीव शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।
J.O. Code-UP1900

Steno-Gaurav Maurya

Digitally signed by SANJEEV SHUKLA
Date: 2026.08.25 10:37:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court